



पत्र सं० 8बी/एच.पी./09/30/2017/एफ.सी. 151

दिनांक: 05/05/2020

सेवा में,



नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

हिमाचल प्रदेश सरकार,

वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय : Diversion of 1.5298 ha of forest land in favour of HP Education Department, Directorate of Higher Ducation, Lalpani Shimla, H.P. for the setting up of Govt. Degree College Sihunta, Distt., Chamba, H.P. within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, H.P (online no. FP/HP/SCH/21873/2016)

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-3450/2016 (एफ.सी.ए.) दिनांक 12.03.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं:

1. The component future expansion through deleted from the component wise breakup but is still visible in the plan submitted in hard copy.
2. The reply furnished after about two and a half years.
3. In the component wise breakup component no. 6,7,8 and 12 are proposed for the same purpose which appears unnecessary as the diversion can for not be proposed for landscaping etc. Therefore, the state govt. may review the same and except for the setback area around construction, rest of the open area need not be proposed for diversion.
4. State govt. may submit the revised component wise break-up and layout plan to this office.
6. राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र का सही खसरा संख्या/कम्पार्टमेन्ट सं० अंकित नहीं किया गया है अतः सही खसरा संख्या/कम्पार्टमेन्ट सं० इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाय कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किये गये हैं।

यदि चाही गयी सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों (अधिकतम 90 दिनों) के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डा० योगेश गौराला)

तकनीकी अधिकारी